



जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
Jogendra Central Cooperative Bank Ltd.
Head Office: Rajgarh Road, Solan H.P.-173212-00009
Telephone: 01792-220303, 225690 + website www.jccb.co.in

नीलामी
बिक्री सूचना

बिक्री सूचना (चल संपत्ति हेतु)

एतद्वारा निम्न उल्लेखितानुसार ऋणकर्ताओं/गारंटियों से व्याज, लागत, प्रभार आदि के साथ प्रत्याभूति ऋण की वसूली के लिए "जैसे है जहां है और जो कुछ भी वहां है और बिना रिकॉर्स आधार पर" जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बी.ओ. धर्मपुर, जिला सोलन (हि.प्र.) के कब्जे में निम्न उल्लेखित वाहन की बिक्री के लिए मोहरबंद लिफाफे में बोलियां आमंत्रित की जाती हैं जो कि 08 अप्रैल, 2024 को सांय 5:00 बजे तक या इससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

बोलियां जमा करवाने की तिथि व समय : 08 अप्रैल 2024 को सांय 5:00 बजे तक

बोलियां खोलने की तिथि व समय : 09 अप्रैल 2024 को पूर्वा. 11:00 बजे

स्थान : जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय : धर्मपुर, जिला सोलन (हि.प्र.)

ऋणकर्ता/गारंटर(वाहन मालिक) का नाम और शाखा का नाम व संपर्क न.	बैंक के पास रहन रखे चल प्रत्याभूति परिसंपत्ति (वाहन) का ब्यौरा	आरक्षित मूल्य	ईएमटी 10%	नीलामी तिथि, समय व स्थान
ऋणकर्ता: श्री अजय ठाकुर पुत्र श्री देव राज ठाकुर, गांव शरार, डा.प. भोजनगर, तहसील व जिला सोलन (हि.प्र.) गारंटर:- श्री देव राज ठाकुर पुत्र श्री संत राम गांव शरार, डा.प. भोजनगर, तहसील व जिला सोलन (हि.प्र.) (बी) श्री रवि कुमार पुत्र श्री दैलत राम गांव शरार, डा.प. भोजनगर, तहसील व जिला सोलन (हि.प्र.) शाखा कार्यालय : जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धर्मपुर, जिला सोलन (हि.प्र.) शाखा कार्यालय संपर्क न. 01792264075	वाहन का हार्डपेथिकेशन का ब्यौरा वाहन न. HP14A-7428 अशोक स्लॉलेंड लि. 2010/4, पैसेंजर बस, रजिस्ट्रेशन तिथि 10/06/2010, इंजन न. UXE016641Y चेसी न. MBIPEEFC9AE988840 श्री अजय ठाकुर पुत्र श्री देव राज ठाकुर के नाम पर।	Rs. 1,50,000/- (केवल एक लाख पचास हजार रुपये)	Rs. 15,000/- (केवल पन्द्रह हजार रुपये)	09 अप्रैल, 2024 को पूर्वा. 11:00 बजे जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बी.ओ. धर्मपुर, जिला सोलन (हि.प्र.)

वाहन का निरीक्षण प्रत्यक्ष बोलोदार द्वारा किया जा सकता है जिसके लिए वे मोबाइल नम्बर 7018119871 पर संपर्क कर सकते हैं। बोलोदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को बैंक ड्राफ्ट/नगदी के द्वारा आरक्षित मूल्य की 10% राशि जमा करवाने होगी। ईएमटी जमा करवाने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल, 2024 को सांय 05:00 बजे तक है। जिस व्यक्ति ने पूर्वोलानुसार ईएमटी जमा नहीं कराया है, उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सफल निविदक को उद्घोषणा, कि उसकी बोली उच्चतम है, के 24 घंटे के भीतर पहले से अद की गई ईएमटी को संपादन करने के बाद बिक्री मूल्य की 25% राशि जमा करवाने होगी। बिक्री मूल्य की शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की पूंटे के 15 दिन के भीतर करना होगा। बैंक इस उद्घोषणा में किसी भी गलती/घुट के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। वाहन को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी मौजूद व भावी ऋणधारों के साथ बेचा जा रहा है। बैंक/शाखा अधिकारी/प्रत्याभूति ऋणकर्ता किसी भी तीसरी पार्टी के दवे/अधिकार/देव राशि के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। वाहन बिक्री कंडीशन में नहीं है और यह स्क्रैप है। नीलामी की विस्तृत जानकारी, शर्तों व नियमों के लिए प्रत्यक्ष निविदक प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कार्य दिवस पर पूर्वा. 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सोलन (हि.प्र.) में संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : सोलन

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी :- श्री बरफू राम

दिनांक : 08.03.2024

जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. मोबाइल न 7018233924